

23.5.25

वकील काउन्सिल ब्लेक इपाचिवी/ प्रभाव
वाले ब्रह्म प्रोप्रा 022R के 022R3 व
9 CPC हेतु समय-चाहा/ प्रभाव
वाले ब्रह्म प्रोप्रा दिनांक 9.6.25 को
पत्रा हो।

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज०)

9.6.25

कोई इपाचिवी नहीं। वकील काउन्सिल ब्लेक
वा काउन्सिल ब्लेक के कई बार प्रभाव
लगाई गई कोई एफिर जवाब नहीं आया
अतः दावा काउन्सिल ब्लेक अदम्य वापसी व
अदम्य पेशी के खारिज किया जा रहा है।
प्रभाव को लक्ष्य होना दालिल उपर
हो।

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज०)

डिकी व मुकदमे इब्तदाई

अज अदालत : सहायक कलक्टर (मुख्यालय) धौलपुर

व इजलास : डॉ साधना शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 89/2013

1. विशनसिंह यादव पुत्र पूरनसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम पुरानी तहसील व जिला धौलपुर

2. श्रीमती गंगा पुत्री पूरनसिंह पत्नी माधवसिंह जाति अहीर निवासी पुरानी तहसील हाल आबाद बाईपुर सिकंदरा आगरा जिला आगरा उ0प्र0वादीगण
बनाम

1. अगनुआ पुत्र मोतीसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम पुरानी छावनी तहसील व जिला धौलपुर राजस्थान

2. श्रीमती रामदुलारी पुत्री मोतीसिंह पत्नी रामबाबू जाति अहीर निवासी ग्राम पुरानी छावनी हाल आबाद गंज मौहल्ला हनुमान गली फिरोजाबाद उ0प्र0

3. श्रीमती त्रिवेनी पुत्री मोतीसिंह पत्नी विजयसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम पुरानी छावनी हाल आबाद कटरा मौहल्ला पटानान गली फिरोजाबाद उ0प्र0

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर व हैसियत लैण्ड होल्डर तहसील व जिला धौलपुरप्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188 आरटीए

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ साधना शर्मा (आर.ए.एस.) व हाजिरी श्री श्रीकांत श्रीवास्तव एडवोकेट मिनजानिव मुद्दई एवं श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट मिनजानिव मुद्दयालह ने पेश होकर हुक्म दिया जाता है, कि दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण अवैट हो जाने के कारण खारिज किया जाता है।

वशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 05.05.2025 को जारी की गई।



Sr.
(डॉ साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर (मु0)
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)